

## उत्तराखण्ड में महिलाओं को मलिा क्षैतजि आरक्षण का कानूनी अधिकार, राज्यपाल ने वधियक को दी मंजूरी

### चर्चा में क्यों?

10 जनवरी, 2023 को उत्तराखण्ड के राज्यपाल ले. ज. गुरमीत सहि (सेना.) ने उत्तराखण्ड लोक सेवा (महिलाओं के लिये क्षैतजि आरक्षण) वधियक 2022 को मंजूरी दे दी। राजभवन से वधियक को वधियायी वभिाग भेज दया गया है, जसिका गजट नोटफिकेशन जलद जारी हो जाएगा।

### प्रमुख बदि

- राजभवन को 14 वधियक मंजूरी के लिये भेजे गए थे। इनमें से महिला आरक्षण समेत 12 को मंजूरी मलि गई है, जबकि भारतीय स्टांप उत्तराखण्ड संशोधन वधियक और हरदिवार वशिवदियालय वधियक को राजभवन से अभी मंजूरी नहीं मलि है।
- राज्यपाल की मंजूरी के साथ ही उत्तराखण्ड में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतशित क्षैतजि आरक्षण का कानूनी अधिकार मलि गया है। आरक्षण का लाभ उन सभी महिलाओं को मलिगा, जनिका उत्तराखण्ड राज्य का अधवास (डोमसाइल) है। बेशक वे राज्य से बाहर कसि भी स्थान पर नवास कर रही हों।
- प्रदेश सरकार ने 30 नवंबर, 2022 को वधिनसभा में बलि को सर्वसमतसे पारति कराकर राजभवन भेजा था। वधिनसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में 14 वधियक पारति हुए थे। अधिकतर संशोधति वधियक थे, इनमें महिला आरक्षण बलि भी शामिल था।
- दरअसल, राजभवन से ज्यादातर वधियकों को मंजूरी मलि गई थी, लेकिन महिला क्षैतजि आरक्षण बलि वधिराधीन रहा। राजभवन ने वधियक को मंजूरी देने से पहले इसका न्याय और वधि वशिषज्जों से परीक्षण कराया। इससे वधियक को मंजूरी मलिने में एक महीने का समय लग गया।
- हाईकोर्ट ने राज्य लोक सेवा आयोग की उत्तराखण्ड सम्मलिति प्रवर सेवा के पदों के लिये आयोजति परीक्षा में उत्तराखण्ड मूल की महिला अभ्यर्थियों के 30 प्रतशित क्षैतजि आरक्षण वाले शासनादेशों पर रोक लगा दी थी। हरयाणा की पवतिरा चौहान व अन्य अभ्यर्थियों ने यह याचिका दायर की थी।
- राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सरकार की वशिष अनुग्रह याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। इस तरह आरक्षण बरकरार रहा। सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले में सात फरवरी को सुनवाई होनी है।
- महिला क्षैतजि आरक्षण को लेकर कब कया हुआ-
  - 18 जुलाई, 2001 को अंतरमि सरकार ने 20 प्रतशित आरक्षण का शासनादेश जारी कया।
  - 24 जुलाई, 2006 को तत्कालीन तवारी सरकार ने आरक्षण को 20 प्रतशित से बढ़ाकर 30 प्रतशित कया।
  - 26 अगस्त, 2022 को उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आरक्षण के शासनादेश पर रोक लगाई।
  - 04 नवंबर, 2022 को सरकार की एसएलपी पर सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी।
  - 29 नवंबर, 2022 को सरकार ने वधिनसभा के सदन में वधियक पेश कया।
  - 30 नवंबर, 2022 को सरकार ने वधियक को सर्वसमतसे पारति कराकर राजभवन भेजा।
  - 10 जनवरी, 2022 को राज्यपाल ने वधियक को मंजूरी दे दी।